राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 150वीं बैठक के कार्यवृत्त

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के रोकथाम की कार्यवाही के चलते राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में धारा 144 लगाने के कारण एक जगह लोगो के एकत्रित होने पर प्रतिबंध होने के कारण जून, 2021 तिमाही की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 150वीं बैठक का आयोजन वीडियो कोन्फ्रेंस के माध्यम से करने का सर्वसम्मति से स्टियरिंग समिति में निर्णय लिया गया ताकि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों की अनुपालना की जा सकें।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 150वीं बैठक श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में श्री सौरभ मिश्रा, संयुक्त शासन सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, श्रीमती अपर्णा अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार, श्री भवानी सिंह देथा, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, श्री के.के. पाठक, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार, डॉ. ओम प्रकाश, आयुक्त, राजस्थान सरकार, श्रीमती सुचि त्यागी, राज्य परियोजना निदेशक, राजीविका विभाग, राजस्थान सरकार, श्रीमति शैली किसनानी, प्रबंध निदेशक, अनुजा निगम, राजस्थान सरकार, श्रीमती रश्मि गुप्ता, आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, श्री मुकेश कुमार, महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री पुष्प पाण्डेय, महाप्रबंधक, नाबार्ड, श्री राजेश कुमार मिश्रा, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, श्री महेंद्र सिंह महनोत, संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, व महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सिडबी, विभिन्न बैंकों, बीमा कम्पनियों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों/ अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गयी। **(संलग्न सूची के अनुसार)**

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सर्वप्रथम समिति के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया। उन्होने एस.एल.बी.सी. एवं सभी हितग्राहियों के द्वारा राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की एवं कोरोना महामारी के कारण एसएलबीसी की जून 2021 की तिमाही बैठक वीडियो कोन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किए जाने में सभी हितग्राहियों के सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया।

उन्होने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अग्रणी बैंक योजनाओं के सुधार (Revamp) के निर्देशों की अनुपालना में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान द्वारा मार्च, 2021 त्रैमासिक में 8 उप समितियों की बैठक भी आयोजित की गयी एवं स्टियरिंग समिति की चौदहवीं बैठक का आयोजन दिनांक 14.09.2021 को किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न हितधारकों द्वारा प्रस्तावित कार्यसूची एवं नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श कर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 150वीं बैठक के लिए संक्षिप्त एवं सुगठित कार्यसूची को तैयार किया गया है।

उन्होने राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए एसएलबीसी के समस्त हितग्राहियों को धन्यवाद प्रदान किया। साथ ही सभी बैंकों से वर्तमान वित्तीय वर्ष में नयी ऊर्जा, प्रतिबद्धता एवं राज्य व केंद्र सरकार के समन्वय के साथ समस्त पैरामीटर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अनुरोध किया. तत्पश्चात उन्होने समिति के अध्यक्ष महोदय को उद्बोधन हेतु अनुरोध किया।

श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैठक में उपस्थित गणमान्य सदस्यों एवं सदस्य बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों के अधिकारियों, राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया तथा अपने उद्बोधन में एस.एल.बी.सी. एवं सभी हितग्राहियों के द्वारा राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकें बैंकिंग क्षेत्र से संबन्धित नीतिगत मामलों पर चर्चा करने, विभिन्न मापदण्डों के तहत प्रगति की समीक्षा करने और भविष्य के लिए योजनाएँ बनाने का अवसर प्रदान करती हैं।

COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था एक बार फिर दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है और अगले 10-15 वर्षों में विश्व की शीर्ष तीन आर्थिक शक्तियों में से एक होने की उम्मीद है। आर्थिक परिदृश्य में सुधार के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया गया है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने आसान मौद्रिक और वित्तीय स्थिति और विभिन्न नीतिगत उपाय प्रदान करके अर्थव्यवस्था को पोषित करने का हर संभव प्रयास किया है - मौद्रिक और नियामक नीति में बैंकिंग क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र के अन्य पहलुओं के संबंध में कुछ छूट प्रदान की हैं।

COVID-19 से संबंधित व्यवधानों के वित्तीय प्रभाव को कम करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने जरूरतमंद वर्गों को कम लागत पर ऋण के प्रवाह को आसान बनाने के लिए कई नीतिगत उपाय किए हैं। इन उपायों में नीति दर को कम करना, ऑन-टैप तरलता योजनाओं को शुरू करना और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के माध्यम से तरलता को चैनलाइज़ करना और वित्तीय संस्थानों को व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों और एमएसएमई को तनावग्रस्त ऋणों को हल करने की सुविधा प्रदान करना शामिल है।

उन्होने इस बात पर जोर दिया कि सभी के सुदृढ़ भविष्य के लिए बैंकरों को COVID-19 महामारी के बाद अधिक से अधिक वित्तीय समावेशन के लिए अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। क्रेडिट, निवेश, बीमा और पेंशन से संबंधित वित्तीय उत्पादों तक पहुंच के साथ-साथ बैंक खातों की सार्वभौमिक पहुंच की आवश्यकता है। राज्य में यह सुनिश्चित करना सभी हितधारकों की जिम्मेदारी है कि वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र समावेशी हो और उचित वित्तीय माध्यमों से साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और वित्तीय प्रणाली में विश्वास को बढ़ावा देने में सक्षम हो।

उन्होने पिछली एसएलबीसी की बैठक के बाद हुई महत्वपूर्ण घटनाओं पर निम्नानुसार प्रकाश डाला:-

- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव अभियान शुरू किया गया था। माननीय प्रधान मंत्री ने इन 75 वर्षों के उत्सव के लिए 5 स्तंभों की पहचान की है - स्वतंत्रता संग्राम, 75 पर विचार, 75 पर उपलब्धियां, 75 पर कार्य और 75 पर संकल्प। सर्वश्रेष्ठ बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने और सरकार के कार्यक्रमों को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए के लिए उन्होने सभी बैंकरों से आग्रह किया कि वे आगे आएं और जनभागीदारी कार्यक्रम यानी अभियान, गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित करें जिसमें आंतरिक और बाहरी हितधारकों और आमजन के साथ व्यापक बातचीत शामिल हो। इसके अलावा, बैंकों को अपने ग्राहकों को 24*7 डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल ऋण सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

- हाल ही में, भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग के माध्यम से COVID प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की है ताकि पात्र संस्थानों को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में पात्र परियोजनाओं के लिए उनके ऋण के लिए गारंटी कवरेज प्रदान किया जा सके:-
  - ✓ अस्पताल/ औषधालय/ क्लीनिक/ मेडिकल कॉलेज/ पैथोलॉजी लैब/ डायग्नोस्टिक केंद्र स्थापित करना।
  - ✓ टीके/ ऑक्सीजन/ वेंटिलेटर/ प्राथमिकता वाले चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए सुविधाएं।
  - ✓ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं।

  यह योजना उक्त क्षेत्रों में ब्राउनफील्ड परियोजनाओं और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं दोनों को गारंटी कवर प्रदान करेगी, जो अधिकतम रु. प्रति परियोजना 100 करोड़ होगा। उन्होने साथी बैंकरों से राज्य में उपरोक्त योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने और इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ऋण देने का आग्रह किया।

- आरबीआई ने एटीएम में नकदी की उपलब्धता की प्रणाली को मजबूत करने का फैसला किया है जिसके अनुसार किसी भी एटीएम में एक महीने में 10 घंटे से अधिक समय तक कैश-आउट करने पर रुपये 10,000 प्रति एटीएम का जुर्माना लगेगा। अनुरोध किया कि राज्य के सभी बैंकर एटीएम की समय पर पुनःपूर्ति सुनिश्चित करें और राज्य में कोई भी बैंक इस तरह का जुर्माना नहीं लगावाए।

- उन्होने बताया कि राजस्थान में प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर औसतन 12 शाखाएँ कार्यरत हैं जो कि पर्याप्त नहीं है। साथ ही उन्होने बताया की राज्य में 22,236 बैंक मित्रों द्वारा संचालित बैंकिंग आउटलेट को भी राज्य में प्रति 1 लाख की जनसंख्या बैंकिंग सुविधाओं की गणना में शामिल किया जावे ताकि बैंकिंग कवरेज को बढ़ाया जा सके।

- उन्होने बताया कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार समस्त वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिये है की वे अपनी सभी शाखाओं के माध्यम से सम्पूर्ण देश में ऋण वितरण हेतु आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन करें। इस हेतु उन्होने एसएलबीसी से अनुरोध किया कि अक्टूबर माह में राजस्थान में भी आयोजित किए जाने वाले आउटरीच कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करें जिसमें सभी बैंकों द्वारा सहभागिता की जावे व अधिक से अधिक ऋण वितरण सुनिश्चित किया जाये। उक्त आउटरीच कार्यक्रमों में कृषि, एमएसएमई, रिटेल आदि क्षेत्रों में ऋण वितरण किया जाना चाहिए।

- माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वतन्त्रता दिवस के भाषण में बोला गया कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा PMSBY, PMJJBY, APY की तह में लाना है व उक्त योजनाओं को संतृप्ति के स्तर तक ले जाना है। बैंकों द्वारा इस दिशा में तीव्र गति से कार्य किया जावे। साथ ही उक्त योजनाओं के तहत बीमा दावों के आवेदन एवं निस्तारण की प्रक्रिया डिजिटल किए जाने की आवश्यकता बताई। उन्होने यह भी बताया की एसएलबीसी उत्तर प्रदेश को बीमा दावों के आवेदन एवं निस्तारण की प्रक्रिया डिजिटल करने हेतु नोडल स्टेट के रूप में चिन्हित किया गया है। उन्होने एसएलबीसी राजस्थान से अनुरोध किया की राजस्थान में भी इस प्रकार की व्यवस्था लागू किये जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

- डे-एनआरएलएम सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। हाल ही में, आरबीआई ने डे-एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूहों को संपार्श्विक मुक्त ऋण को रुपये 10 लाख से बढ़ाकर रु. 20 लाख बढ़ाने के संबंध में निर्देशित किया है। एसएचजी के बचत बैंक खाते में कोई lien चिह्नित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होने साथी बैंकरों से राज्य में एसएचजी लाभार्थियों को इस योजना के तहत अधिकतम ऋण वितरित करने का आग्रह किया।

- हाल ही में, भारत ने रीयल टाइम ऑनलाइन लेनदेन में चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है और हमारे माननीय वित्त मंत्री ने भी इस बात पर जोर दिया है कि बैंकों को डिजिटलीकरण को अपनाना चाहिए ताकि सरकारी योजनाएं समाज के गरीब और दलित वर्गों तक पहुंचें। हाल ही में, आरबीआई ने एसएलबीसी को अपने राज्य में 100% डिजिटलीकरण के लिए दो और जिलों को चिन्हित करने की सलाह दी है और एसएलबीसी, राजस्थान ने अपने हितधारकों के परामर्श से अजमेर और धौलपुर जिले को 100% डिजिटलीकरण के लिए चिन्हित किया है। उन्होने राज्य के सभी बैंकरों से आग्रह किया कि वे अपनी शाखाओं को अपने ग्राहकों को डिजिटल उत्पादों के प्रचार-प्रसार की सलाह दें और उन्हें अपनी दैनिक दिनचर्या में डिजिटल उत्पादों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें।

- वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने हाल ही में दिनांक 15.08.2021 से दिनांक 14.09.2021 तक पैन इंडिया स्तर पर "जन सुरक्षा अभियान" शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्रमशः पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत प्रति शाखा कम से कम क्रमशः 100 एवं 150 खाताधारकों को नामांकित करना है जिसकी गहन निगरानी वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जा रही है। उन्होने सभी बैंकरों से इन योजनाओं के तहत बीमा दावों का परेशानी मुक्त निपटान सुनिश्चित करने का भी अनुरोध करूंगा।

अब, राज्य के महत्वपूर्ण बैंकिंग उपलब्धियां (Business Key Parameters) यथा Business Growth, Achievement against benchmark of Priority Sector & its Sub-Sectors etc. पर प्रकाश निम्नानुसार प्रकाश डाला:-

- जून 2021 के अंत तक राज्य के सभी बैंकों का कुल कारोबार वर्ष-दर-वर्ष 10.66% की वृद्धि के साथ 9.02 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। बैंकों ने जमाराशियों में वर्ष-दर-वर्ष 9.67% की वृद्धि दिखाई है और बकाया अग्रिमों की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 11.92% है।
- राज्य का जून, 2021 तक सीडी अनुपात 83.27% है और यह आरबीआई के बेंचमार्क से काफी ऊपर है। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष 11.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो संतोषजनक है और कृषि क्षेत्र में अग्रिमों में जून, 2020 की तुलना में क्रमशः 10.29% की वृद्धि हुई है।
- जून 2021 की स्थिति के अनुसार वार्षिक साख योजना (ACP) के तहत उपलब्धि वार्षिक लक्ष्य का 25.30% है।

इसके अलावा, उन्होने उन मुद्दों की ओर राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित किया जहाँ बैंकर्स को राज्य सरकार के समर्थन की आवश्यकता है:

- Rajasthan Agricultural Credit Operations (Removal of Difficulties) Act, 1974 (RACO-ROD Act) (राजस्थान कृषि ऋण परिचालन (कठिनाइयों को दूर करना) अधिनियम, 1974) के तहत राशि रू. 3472 करोड़ के 1.95 लाख प्रकरण वसूली हेतु लंबित हैं। उक्त प्रकरणों में से राशि रु. 2205 करोड़ के लगभग 1.22 लाख खाते एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। अत: राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि वह किसानों को कृषि ऋण के Fast Processing एवं बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए उक्त लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द निस्तारण के लिए राजस्व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करावे।
- SARFAESI अधिनियम के तहत दिनांक 31.03.2021 तक राशि रु. 187 करोड़ के 767 प्रकरण जिला प्राधिकरणों के समक्ष लंबित हैं, जिनमें से राशि रु. 137 करोड़ के 558 मामले 60 से अधिक दिनों से लंबित हैं अतः राज्य सरकार से अनुरोध किया कि समस्त जिला मजिस्ट्रेट को निर्देशित करें कि SARFAESI अधिनियम के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करें।

- बैंक शाखाओं के बाहर लगे ग्लो साइन बोर्ड का मुद्दा लंबे समय से लंबित है। उन्होने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि इसे जल्द से जल्द साफ़ करने के लिए क्योंकि यह सभी बैंकों के लिए एक रोड़ा बन गया है।
- Roda और SARFAESI अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में वसूली को बढ़ावा देने के लिए, यह सुझाव दिया जाता है कि राज्य में एक उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाए।
- इसके साथ ही, उन्होने राज्य सरकार, आरबीआई, नाबार्ड, बैंको और वित्तीय संस्थानों को राज्य में विकास की प्रक्रिया के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में समन्वय स्थापित करने के लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त किया।

श्री सौरभ मिश्रा, संयुक्त शासन सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा PMSBY, PMJJBY, APY के दायरे में लाना है। इस हेतु वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक वर्ष का सघन अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है जिसके तहत सभी बैंकों द्वारा इस दिशा में तीव्र गति से कार्य किए जाने की आवश्यकता बताई। उन्होने मुख्यतः 3 बिन्दुओं पर सदन में चर्चा की। जो कि निम्नानुसार हैं:-

1. प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा PMSBY, PMJJBY, APY के दायरे में लाया जाना है। उन्होने एसएलबीसी से अनुरोध किया कि राज्य में प्रत्येक जिले में व प्रत्येक बैंक की शाखा स्तर पर इस अभियान हेतु जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। साथ ही उन्होने बताया की अगस्त व सितम्बर माह में उनके विभाग द्वारा पैन इंडिया स्तर पर चलाये गए "जन सुरक्षा अभियान" में बैंकों द्वारा की गयी प्रगति संतोषजनक नहीं है।
2. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा PMSBY, PMJJBY, APY के बीमा दावों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण किया जावे। उन्होने बैंकों से अनुरोध किया कि उक्त दावों को प्राथमिकता प्रदान की जावे। साथ ही उन्होने बताया की कोविड महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के कारण भारत सरकार द्वारा बीमा दावों के शीघ्र निपटान के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। व कोरोना से मृत्यु होने के साक्ष्य/ दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में साधारण फार्म भर कर भी क्लेम प्राप्त किया जा सकता है। उन्होने समस्त बीमा कंपनियों से भी अनुरोध किया कि क्लेम settle करने में अनावश्यक देरी नहीं की जावे।
3. अटल पेंशन योजना के तहत राजस्थान राज्य में पहले के मुक़ाबले प्रगति बढ़ी है, लेकिन अभी भी राष्ट्रिय स्तर पर कवरेज के सापेक्ष अभी काफी कम कवरेज है जिसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

उन्होने बताया की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में प्रमुख बैंकों यथा भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक आदि की प्रगति काफी कम है जो की चिंता का विषय है।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा का राज्य में शाखा नेटवर्क 8% है एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (PMSBY, PMJJBY) में 33% की वृद्धि की गयी है। साथ ही APY के तहत 25% की वृद्धि दर्ज की गयी है।

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि उनके बैंक द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकन बढ़ाने हेतु प्रत्येक जिले में रात्रि चौपालों का आयोजन किया जा रहा है जिसमे उनके बैंक को अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है तथा साथ ही शाखाओं द्वारा उक्त योजनाओं नामांकन बढ़ाने हेतु बैंक मित्रों की भी मदद ली जा रही है व आने वाली तिमाही में उनके बैंक की सभी योजनाओं में अच्छी प्रगति परिलक्षित होगी।

संयुक्त शासन सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक से अनुरोध किया कि कोविड काल में कितने खाताधारकों की मृत्यु कुई है इसका डेटा बनवाएँ एवं प्रत्येक शाखा को निर्देशित करें कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत प्राप्त बीमा क्लेम्स को जल्द से जल्द निस्तारित करें एवं मोनिटरिंग के लिए समर्पित अधिकारी (dedicated officer) की नियुक्ति करें।

(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक, राजस्थान)

महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक ने बताया कि PMJJBY एवं PMSBY के तहत 9 बीमा दावे लंबित हैं जो कि आगामी 3 से 4 दिन में सैटल हो जाएंगे तथा साथ ही उन्होने बताया की सभी शाखाओं को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकन बढ़ाने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी कर दिये गए है।

संयुक्त शासन सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक की प्रगति पर गहरा असंतोष व्यक्त किया एवं अनुरोध किया कि पात्र व्यक्तियों की सूची बनाकर सभी को उक्त योजनाओं के तहत कवर किया जावे। शाखा प्रबन्धकों एवं बैंक मित्रों को इस बाबत जागरूक किया जावे।

(कार्यवाही: पंजाब नेशनल बैंक, राजस्थान)

उप महाप्रबंधक, केनरा बैंक ने बताया कि उनके द्वारा कृषि एवं विपणन अधिकारियों को उक्त योजनाओं के तहत लक्ष्य प्रदान कर नामांकन बढ़ाने का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। अभी तक प्राप्त बीमा दावों में से सिर्फ 1 दावा ही लंबित होने से सूचित किया।

उप महाप्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि उनके बैंक में बैंक मित्रों की संख्या को दुगुना किया जा रहा है जिनकी सहायता से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकन बढ़ाया जावेगा।

संयुक्त शासन सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने सेंट्रल बैंक से अनुरोध किया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत उनके बैंक द्वारा की गयी प्रगति की पूर्ण जानकारी लेकर आगे

की रणनीति बनाएँ। बीमा दावों का क्षेत्रवार डेटा संकलित करें एवं उक्त योजनाओं के तहत हुई प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करें। बैंक सुनिश्चित करें कि भारत सरकार द्वारा किए गए सरलीकरण का लाभ लोगों तक पहुंचाया जाये। क्लेम सैटल होने का TAT का आंकलन कर उनके विभाग को सूचित करने का भी अनुरोध किया।

(कार्यवाही: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राजस्थान)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि एसएलबीसी द्वारा खाताधारकों की मृत्यु एवं बीमा दावों का डेटा प्रेषित करने हेतु बैंकों से अनुरोध किया गया है जो कि भारतीय स्टेट बैंक के अलावा अन्य सभी बैंकों से प्रतीक्षित है। इस संबंध में समस्त बैंकों के साथ बैठक आयोजित कर कैम्पेन मोड में उक्त योजनाओं के तहत नामांकन बढ़ाने हेतु कार्यवाही की जावेगी।

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने एसएलबीसी से अनुरोध किया कि भारत सरकार की प्राथमिकता वाले मुद्दों की पूर्व में ही जानकारी लेकर अलग से बैठक आयोजित करें।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री आलोक सिंघल, सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान से बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण आरंभ करने के निर्देश प्रदान किए ।

श्री आलोक सिंघल, सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सर्वप्रथम समिति के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उन्होने बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण आरंभ किया:

<u>एजेण्डा क्रमांक -1</u> (1.1) विगत **149**वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि के लिए सदन से अनुरोध किया एवं सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने सहमति प्रदान की।

<u>एजेण्डा क्रमांक - 2</u>

<u>Revamp of Lead Bank Scheme</u>

उन्होने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अग्रणी बैंक योजनाओं के सुधार (Revamp) हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक स्कीम में सुधारों के लिए दिए गए सुझावों की अनुपालना हेतु समस्त नियंत्रक सदस्यों से अनुरोध है जिसमें से मुख्य कार्यवाही बिन्दु निम्नानुसार हैं:

- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की त्रैमासिक बैठक नीतिगत मुद्दों पर ही चर्चा करने के लिए केन्द्रित होगी एवं उक्त बैठक में बैंकों/ विभिन्न सरकारी विभागों के केवल राज्य प्रमुख अथवा उसके समकक्ष वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ही सहभागिता की जावेगी।

- नियमित मुद्दों पर चर्चा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विभिन्न उप समितियों की बैठक में की जाएगी।
- राज्य की समस्त बैंक शाखाओं/क्षेत्रीय/प्रशासनिक कार्यालय के व्यावसायिक लक्ष्य वार्षिक साख योजना (ACP) के साथ संरेखित (align) कर निर्धारित किए जाने चाहिए।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

- अग्रणी जिला प्रबन्धक की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए अपेक्षित कौशलयुक्त अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए।
- अग्रणी जिला कार्यालय हेतु अलग कार्यालय स्थान एवं एलडीएम द्वारा अपनी मुख्य जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु बुनियादी आवश्यकताएँ जैसे कंप्यूटर, प्रिन्टर एवं डेटा कनेक्टिविटी की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- अग्रणी जिला प्रबन्धकों को अलग से एक वाहन (बैंक/किराया) उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- एलडीएम कार्यालय में डेटा प्रविष्टि/ विश्लेषण हेतु कर्मचारी की कमी के कारण कार्य में बाधा उत्पन्न होती है. अतः एलडीएम को कुशल कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिए बैंकों के प्रशासनिक कार्यालय को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए ।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विभिन्न उपसमितियों के आयोजन किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

उपसमिति	**बैठक की दिनांक**
1. वित्तीय समावेशन	04.08.2021
2. डिजिटल भुगतान	04.08.2021
3. एसएलबीसी वेबसाइट पर डेटा प्रवाह के लिए मानकीकृत प्रणाली का विकास	17.07.2021
4. एमएसएमई एवं निर्यात संवर्धन	02.09.2021
5. एसएचजी/जेएलजी/एफ़पीओ	12.08.2021
6. केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना	12.08.2021
7. कृषि योजनाओं से संबन्धित तथा फसल की अवधि निर्धारण	03.09.2021
8. बकाया ऋण वसूली	24.09.2021

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 149वीं बैठक के कार्यबिन्दु तैयार करने हेतु स्टियरिंग समिति की 14वीं बैठक दिनांक 14.09.2021 को आयोजित की गयी।

<u>एजेण्डा क्रमांक - 3</u>

<u>Key Business Parameters</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने राज्य के बैंकिंग के प्रमुख पैरामीटर के बेंचमार्क के सापेक्ष उपलब्धियों के बारे में सदन को निम्नानुसार सूचित किया:

दिनांक 30 जून, 2021 तक राज्य में कुल 8197 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 30 जून, 2021 तक बैंकों द्वारा कुल 16 शाखाएं खोली गयी हैं।

जमाएँ व अग्रिम: 30 जून, 2021 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 9.67% के साथ कुल जमाएँ राशि रू 4,96,732 करोड़ तथा कुल अग्रिम वर्ष दर वर्ष वृद्धि 11.92% के साथ कुल ऋण राशि रूपये 4,05,510 करोड़ रहे हैं। जमाओं में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों एवं स्माल फाइनेंस बैंक की वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमशः 8.91%, 13.01%, 3.31% एवं 52.49% रही है तथा अग्रिमों में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंक, स्माल फाइनेंस की वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमशः 11.19%, 15.36%, 18.01% एवं 17.75% रही है. राज्य में समस्त बैंकों का साख जमा अनुपात 83.27% रहा है जो भारतीय रिजर्व बैंक के बेंचमार्क से काफी उपर है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 30 जून, 2021 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 11.67% के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण राशि रू 2,57,304 करोड़ रहा है।

कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 30 जून, 2021 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 10.29% के साथ कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 1,20,663 करोड़ रहा है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को ऋण: 30 जून, 2021 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 16.14% के साथ सूक्ष्म व लघु उपक्रम को प्रदत्त ऋण राशि रूपये 96,199 करोड़ रहा है।

अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण : 30 जून, 2021 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 5.91% के साथ अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण राशि रूपये 40,441 करोड़ रहा है।

कमजोर वर्ग को ऋण: 30 जून, 2021 को राज्य में वर्ष दर वर्ष 10.88% के साथ कमजोर वर्ग को प्रदत्त ऋण राशि रूपये 83,073 करोड़ रहा है।

अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण: 30 जून, 2021 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 9.61% के साथ अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण रूपये 17,200 करोड़ रहा है।

राज्य में **कुल अग्रिमों के अनुपात में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** के अग्रिम 63.45%, कृषि क्षेत्र को 29.76%, एमएसएमई को 23.72%, कमजोर वर्ग को 20.49%, लघु एवं सूक्ष्म कृषकों को 14.24% तथा सूक्ष्म उपक्रमों को 11.99% रहा है।

राजस्थान के नजदीकी राज्य उत्तर प्रदेश (51.69%) एवं हरियाणा (68.21%) के 30 जून, 2021 के साख जमा अनुपात (CD Ratio) के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किये।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बेंचमार्क के सापेक्ष उपलब्धि एवं अन्य राज्यों की उपलब्धि से राजस्थान राज्य की प्रगति के तुलनात्मक आंकड़ों पर संतोष व्यक्त किया।

साथ ही बताया कि कृषि क्षेत्र में ऋण प्रदान करने की दर में और भी वृद्धि लाई जा सकती थी लेकिन भूमि डिजिटाईजेशन के चलते बैंकों के पक्ष में कृषि भूमि रहन दर्ज़ करने प्रकरण काफी लंबे समाय से लंबित है जिसके कारण तहसीलों में बैंकों के पक्ष में कृषि भूमि पर रहन दर्ज़ नहीं किया जा रहा है। साथ ही उन्होनें बताया उक्त मुद्दे पर विस्तृत चर्चा संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान से दिनांक 24.09.2021 को सम्पन्न एसएलबीसी की उपसमिति (बकाया ऋण की वसूली) में हो गई है और आशा है की आगमी तिमाही में कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण में अच्छी प्रगति आयेगी।

<u>एजेण्डा क्रमांक - 4</u>

<u>Unbanked Rural Centres (URC)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवंटित 12 गांवों को बैंकिंग टच पॉइंट्स के माध्यम से कवर किया गया है। उक्त गांवों को कवर माने जाने हेतु अनुरोध के साथ 149वीं एसएलबीसी बैठक के कार्यवृत्त भी वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किए गए हैं।

अतः राजस्थान में समस्त गाँव जहां 5 कि.मी. की परिधि में शाखा/ बीसी अथवा मोबाइल वैन कार्यरत है उन्हें बैंकिंग टच पॉइंट से कवर माना गया है। उक्त एजेंडा भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफआई) के तहत भी शामिल है।

<u>District Level Implementation Committee for the Targeted Financial Inclusion Intervention Programme (TFIIP) within the overall Aspirational Districts Programme (ADP) of NITI Aayog:</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि आशान्वित जिलों (Aspirational Districts) में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने दिनांक 13.07.2020 से Aspirational Districts Programme (ADP) के तहत में चयनित

आशान्वित जिलों में Targeted Financial Inclusion Intervention Programme (TFIIP) चलाया है। उक्त TFIIP अभियान राजस्थान में बारां एवं जैसलमेर जिले में चिन्हित किया गया है।

सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट (Aspirational District) की DLIC बैठक निम्नानुसार आयोजित की गई:

- बारां - 06.08.2020, 10.09.2020, 08.10.2020, 12.11.2020, 17.12.2020, 22.01.2021 and 19.02.2021, 17.03.2021, 17.06.2021, 07.09.2021
- धौलपुर - 25.03.2021, 30.09.2021 (प्रस्तावित)
- जैसलमेर - 19.08.2020, 29.12.2020, 03.04.2021, 29.06.2021, 09.09.2021
- करौली - 18.03.2021, 23.06.2021, 09.09.2021
- सिरोही - 23.09.2021 (प्रस्तावित)

राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति (NLSC) ने सितंबर, 2021 के अंत तक सभी KPI पर 100% बेंचमार्क हासिल करने का निर्णय लिया है।

प्रत्येक आकांक्षी जिले से आयोजित शिविरों और उसमें किए गए नामांकन के संबंध में डेटा एकत्र करने के लिए डीएफएस, एमओएफ, भारत सरकार द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। केपीआई के तहत प्रगति को अपलोड करने के लिए प्रत्येक आकांक्षी जिले के प्रमुख जिला प्रबंधकों को पोर्टल पर access प्रदान की जा रही है। (https://jansuraksha.gov.in/mis)।

एसएलबीसी ने प्रमुख शासन सचिव (वित्त), राजस्थान सरकार से एसएलआईसी (SLIC) बैठक आयोजित करने के लिए उपयुक्त तिथि और समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया है।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक, जैसलमेर, बाराँ, करौली, धौलपुर एवं सिरोही)

<u>अटल पेंशन योजना</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि अटल पेंशन के अंतर्गत शाखाओं की संख्या के आधार पर बैंकों को वर्गवार लक्ष्य आवंटित किए गए हैं. जिसका विवरण निम्नानुसार है:

Atal Pension Yojana: DFS, MoF, GoI, vide their letter no. file no. 16/7/2015-PR (PT) dated 08.06.2021 had informed target for the F.Y.2021-22 based on the number of branches of each bank	Progress from 01.04.2021 to 31.08.2021						
	Type of Bank	Name of Banks	No. of Branches	Target (Per Branch)	Total Target	Ach. Up to 31.08.2021	% Ach.
	PSB		4149	70	290430	100037	34.44
	Private	HDFC, Axis, ICICI and IDBI	874	70	61180	3183	5.20
		Other Private Banks	335	30	10050	865	8.61
	RRB		1561	70	109270	34794	31.84
	Co-Op.		461	20	9220	9	0.10
	Small Finance Bank		221	50	11050	3865	34.98
	State as a Whole		7601		491200	142753	29.06
	* Data received from PFRDA						

राज्य में कुल 4,91,200 नामांकन के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 31.08.2021 तक 1,42,753 नामांकन की उपलब्धि है जो कि 29.06% रही है ।

पिछले एक वर्ष से ज्यादा समय से निरंतर अनुवर्तन की कार्यवाही के पश्चात भी निम्न बैंकों की जून-2021 तक की प्रगति बेहद चिंतनीय है:
राजस्थान राज्य सहकारी बैंक - 9 (0.10%), आईसीआईसीआई बैंक - 2620 (9%), एयू स्माल फाइनेंस बैंक - 3865 (35%), एचडीएफसी बैंक - 149 (1%)।
(कार्यवाही: राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक एवं स्माल फाइनेंस बैंक)

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक की राज्य सरकार के साथ हुई बैठक जिसमें राज्य सरकार से सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों के समान लक्ष्य प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया। साथ ही बताया कि सहकारी बैंकों एवं निजी बैंकों को भी वाणिज्यिक बैंकों के समान ही लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में कार्य करना चाहिए जिससे राज्य का समग्र विकास हो सके।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में भी आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफ़सी बैंक एवं आरएससीबी बैंक की वजह से लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो पायी।

राज्य प्रमुख, आईसीआईसीआई बैंक ने बताया कि उनके बैंक द्वारा अटल पेंशन योजना को अभियान के रूप में लिया गया है। शाखावार लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सदन को आश्वस्त किया।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष commitment बताएं एवं पिछले 7 माह का स्तर अक्तूबर माह में प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया।

संयुक्त शासन सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने आईसीआईसीआई बैंक व एचडीएफ़सी बैंक की प्रगति पर गहरा असंतोष व्यक्त किया एवं उन्हे निदेशित किया कि प्रत्येक शाखा प्रबन्धक तक यह संदेश पहुंचाया जावे कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में 100% खाताधारकों को कवर करना है। साथ ही एसएलबीसी से भी अनुरोध किया कि निजी बैंकों के बीमा दावों का डिजिटलीकरण एवं क्लेम settlement स्तर की निगरानी करें।

(कार्यवाही: आईसीआईसीआई बैंक व एचडीएफसी बैंक)

Progress of Digital District Karauli in Rajasthan State

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य के महत्वाकांशी जिलों में से एक जिला करौली को 100% डिजिटल बनाने हेतु चिन्हित किया गया है। 100% डिजिटल की करौली एवं राज्य की प्रगति निम्नानुसार है :

Progress of 100 % Digital District - Karauli - Comparision from March 2020 to August 2021

Sr. No.	Months	1. Digital coverage for individuals (Savings Accounts)						Digital coverage for business (Current Accounts)				
		Total No. of Operative SB Accounts	% Debit/ RuPay cards coverage	% Net banking coverage	% of MB/ UPI/ USSD coverage	% AEPS coverage	Total No. of Operative SB Accoutns covered with at lease one of the facilities - Debit/ RuPay cards, net banking, mobile banking, UPI,	Total No. of Operative CA Accounts	% Net Banking Coverage	% of POS/ QR coverage	% of Mobile Banking coverage	Total No. of Operative Current Accounts covered with at least one of digital modes of payments - Net
1	Mar-20	1453457	67.29	8.25	20.58	-	68.56	12094	20.37	23.26	-	-
2	Mar-21	1390008	86.52	13.57	51.90	96.74	98.59	14773	48.37	43.39	37.79	95.60
3	Jun-21	1394903	88.98	14.38	50.21	95.44	98.97	14404	51.91	43.15	43.99	96.63
4	Aug-21	1424894	92.74	14.69	50.35	96.14	99.68	14361	51.63	54.30	43.32	98.34

Progress of 100 % Digital State - Rajasthan - Comparision from March 2020 to June 2021

Sr. No.	Months	1. Digital coverage for individuals (Savings Accounts)						Digital coverage for business (Current Accounts)				
		Total No. of Operative SB Accounts	% Debit/ RuPay cards coverage	% Net banking coverage	% of MB/ UPI/ USSD coverage	% AEPS coverage	Total No. of Operative SB Accoutns covered with at lease one of the facilities - Debit/ RuPay cards, net banking, mobile banking, UPI, USSD	Total No. of Operative CA Accnts as on 31st December 2020	% Net banking Coverage	% of POS/ QR coverage	% of Mobile Banking coverage	Total No. of Operative Current Accounts covered with at least one of digital modes of payments - Net Banking, POS, QR etc.
1	Mar-20	72023952	58.51	9.61	15.39	-	63.26	1608216	33.73	8.66	-	-
2	Mar-21	77640877	70.03	14.85	19.25	84.43	88.91	1850073	49.68	11.32	36.02	63.57
3	Jun-21	77933453	71.3	15.49	20.5	83.79	88.68	1917645	52.19	10.44	36.26	64.73

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि जिला करौली को 100% डिजिटल बनाने हेतु दिनांक 30.09.2021 तक शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन लक्ष्य को प्राप्ति हेतु कठोर प्रयास करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

Identification of New Digital District in Rajasthan State

- भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 14.07.2021 द्वारा राज्य सरकार और अन्य हितधारकों के परामर्श से एक या दो अन्य जिलों में भी कार्यक्रम का विस्तार करने का निर्देश दिया है।
- उक्त निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकार और अन्य हितधारकों के परामर्श से एसएलबीसी राजस्थान को 100% डिजिटल जिला कार्यक्रम के लिए दो जिलों यथा अजमेर और धौलपुर को चयनित किया गया है।
- सभी बैंकों से अनुरोध है कि अजमेर और धौलपुर जिले को शत-प्रतिशत डिजिटल बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए नोडल अधिकारी की पहचान करें।

Snapshot of Two New Districts identified for 100% Digitzation

S. No.	District	Lead Bank	No. of Banks Operating	No. of Branches	Total Population (in Lacs.)	% age of Population (10 Yrs & Above)	Literacy Rate	No. of PMJDY A/c
1	Ajmer	Bank of Baroda	33	365	25.83	78.86	69.33%	989717
2	Dholpur	Punjab National Bank	17	67	12.07	74.26	69.08%	660411

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि अजमेर एवं धौलपुर को 100% डिजिटल करने हेतु समयसीमा 30.06.2022 निर्धारित की गयी है व जिसे 30.09.2022 तक बढ़ाया जा सकता है। उन्होने बैंकों से अनुरोध किया कि जून 2022 तक ही लक्ष्य प्राप्त कर लिया जावे।

<u>एजेण्डा क्रमांक - 5</u>
<u>वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति</u>

सहायक माहप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) राशि रू 2,10,485 करोड़ के सापेक्ष कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में जून, 2021 तिमाही तक राशि रू 53,258 करोड़ उपलब्धि रही है जो कि 25.30% उपलब्धि है। कृषि में 25.92%, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम क्षेत्र में 29.82% एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 8.30% की उपलब्धि दर्ज की गई है। वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2021-22 के निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष जून, 2021 तिमाही तक वाणिज्यिक बैंकों ने 23.99%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 35.04%, सहकारी बैंक ने 27.86%, स्माल फ़ाइनेंस बैंकों ने 8.63% की उपलब्धि दर्ज की है। कुल उपलब्धि 25.30% है जो कि संतोषजनक है।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने वार्षिक साख योजना के तहत राज्य के औसत से कम उपलब्धि वाले बैंक यथा पंजाब एंड सिंध बैंक (3.63%), एयू स्माल फ़ाईनेन्स बैंक (7.39%), यूको बैंक (8.19%), एक्सिस बैंक (8.36%), केनरा बैंक (12.03%), इंडियन ओवरसीस बैंक (12.51%), इंडियन बैंक (14.48%), पंजाब नेशनल बैंक (15.74%), आईडीबीआई बैंक (16.16%), यस बैंक (17.58%), एचडीएफ़सी

बैंक (18.12%) है। उक्त बैंकों को लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने के लिए समस्त बैंकों से अनुरोध किया।

प्रतिनिधि, यूको बैंक ने बताया कि दूसरी तिमाही में मिशन खरीफ अभियान चलाया गया है जिसमें 40% तक लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाने का आश्वासन प्रदान किया।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत में 2 माह कोविड महामारी के कारण कार्य नहीं हो पाया। उन्होने खरीफ मौसम में कृषि ऋणों में तेजी आने की संभावना बताई।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान सभी बैंकों से अनुरोध किया की सभी बैंक पूर्व वर्षो की भांति इस वर्ष भी कृषि क्षेत्र में 100% लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करे ।

राजस्व विभाग और सेटलमेंट विभाग, राजस्थान सरकार ने राजस्थान में किसानों के लिए कृषि ऋण लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने “कृषि ऋण रहन पोर्टल” विकसित किया है। कार्यक्रम के पहले चरण में झुंझुनू और जयपुर जिले को "कृषि ऋण रहन पोर्टल" के कार्यान्वयन के लिए चुना गया है और राजस्थान के शेष जिले को अगले चरण में शामिल किया जाएगा।

<u>बैंकों के मुद्दे:</u>

भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के दौरान बैंक के पक्ष में नोट किए गए भूमि बंधक पर मौजूदा बैंक ग्रहणाधिकार को हटाना।

"कृषि ऋण रहन पोर्टल" के कार्यान्वयन के लिए अगले चरण में करौली, अजमेर और धौलपुर की पहचान, क्योंकि इन जिलों की पहचान 100% डिजिटल जिला कार्यक्रम के लिए की गई है।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि कृषि खातों से रहन हटने का मुद्दा काफी लंबे समय से लंबित है जिस पर राजस्व विभाग, राजस्थान के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है। उन्होने बैंकों से अनुरोध किया कि इस प्रकार के मुद्दे एसएलबीसी को तुरंत रिपोर्ट करें जिससे राज्य सरकार के साथ take-up किया जा सके।

<u>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि एनआरएलएम योजनांतर्गत दिनांक 31.08.2021 तक राज्य में 511 क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) एवं 16,925 ग्राम संगठन (VO) कार्यरत है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत वर्ष 2021-22 के 80,000 एसएचजी

वित्त पोषित करने के लक्ष्य के सापेक्ष 16,241 एसएचजी वित्त पोषित किए गए है जो कि 20.30% उपलब्धि है।

प्रतिनिधि, राजीविका विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल पर एसएचजी क्रेडिट लिंकेज के लगभग 13,000 आवेदन लंबित हैं एवं बैंक लिंकेज के लगभग 6,000 आवेदन लंबित हैं। साथ ही बताया कि 2931 आईआईबीएफ़ सर्टिफ़ाईड एसएचजी सदस्यों में से सिर्फ 200 सदस्यों को बीसी के रूप में नियुक्त किया गया है। शेष सदस्यों को भी जल्द ही बीसी के रूप में नियुक्त करने हेतु अनुरोध किया। उन्होने बैंक ऑफ बड़ौदा एवं बीआरकेजीबी बैंकों की प्रगति की सराहना की एवं अन्य बैंकों से अधिक प्रयास करने हेतु अनुरोध किया एवं औसत ऋण राशि बढ़ाने हेतु भी अनुरोध किया।

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सूचित किया गया कि उक्त योजना के तहत एसबीआई द्वारा कैंप मोड में कार्य किया जा रहा है। पिछले 1 माह में रु. 2 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इस बाबत जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों के साथ नियमित बैठक भी की जा रही है।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने भारतीय स्टेट बैंक से अनुरोध किया कि दिनांक 30.09.2021 तक शाखाओं में लंबित समस्त आवेदनों का निस्तारण करे। उन्होने राजीविका विभाग से अनुरोध किया कि आईआईबीएफ़ सर्टिफ़ाईड एसएचजी सदस्यों की सूचित पोर्टल पर अद्यतित करें जिससे बैंकों द्वारा उक्त सूची का उपयोग कर बीसी नियुक्त किए जा सकें।

<u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के तहत के लक्ष्य 4,000 व्यक्तियों, 233 समूहों एवं 2632 स्वयं सहायता समूहों को ऋण स्वीकृत करने के लक्ष्यों के सापेक्ष दिनांक 31.08.2021 तक उपलब्धि क्रमशः 253, 6 एवं 44 रही है। उन्होने बताया कि लक्ष्यों के सापेक्ष पर्याप्त आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को नहीं प्रेषित किए है। 3,814 व्यक्तियों, 43 समूहों एवं 109 स्वयं सहायता समूहों के आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित किए गए है।

उन्होने स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि योजनांतर्गत गुणवत्ता वाले आवदेन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करें एवं एक शाखा में समान प्रकार के व्यवसाय आवेदन पत्र प्रेषित नहीं करने हेतु समस्त फील्ड अधिकारियों को निर्देशित करें एवं बैंक शाखाओं को पर्याप्त मात्रा में आवेदन प्रेषित करें।

(कार्यवाही: स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

<u>PM Street Vendor's Atmanirbhar Nidhi (PM SVANidhi)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पीएम-स्वनिधि योजना के तहत राज्य में 1,95,000 के लक्ष्य के सापेक्ष 70,313 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं जिनमें रु. 62.22 लाख वितरित किए गए हैं।

Bank wise progress as on 15.09.2021

Sr. No.	Bank Name	Target alloted by DFS (Loan Disbursement) UPTO 31.03.2022	Total Sanctioned	Sanctioned but pending for Disbursement	Pending for Sanction	Disb (Account)	Disb (Amount) (Rs. in lacs)	Pending	Returned	% Sanctioned against Targets
A	PUBLIC SECTOR BANK	115596	66153	7053	5169	59100	58.76	47	32302	57.23
B	PRIVATE SECTOR BANK	48844	1009	550	3021	459	0.46	66	1016	2.07
C	REGIONAL RURAL BANK	17150	2761	112	538	2649	2.65	13	3188	16.10
B	SMALL FINANCE BANK	13410	387	32	317	358	0.36	2681	274	2.89
Grand Total		195000	70313	7747	9045	62566	62.22	2807	36780	36.06

शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि कुल लगभग 1 लाख आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 70% स्वीकृत किए गए एवं शेष पर बैंकों द्वारा निर्णय लिया जाना लंबित है।

उन्होने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत किए गए ऋणों का वितरण भी किया जाना आवश्यक है। निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उक्त योजना के तहत ऋण प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। वाणिज्यिक बैंकों में विशेषतः भारतीय स्टेट बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा द्वार अच्छा कार्य करने पर सराहना की।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि ऋण वितरण हेतु शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। साथ ही बताया कि उक्त योजना के तहत प्रदान किए गए ऋणों में से लगभग 20% ऋण एनपीए हो गए है एवं होने वाले है जो बहुत ही चिंतनीय है। जिनकी वसूली के लिए शहरी निकायों द्वारा बैंकों के साथ मिलकर कार्य किया जाना आवश्यक है अन्यथा और अधिक ऋण खाते खराब होने की संभावना है। उन्होने एसएलबीसी से अनुरोध किया कि एनपीए खातेदारों की सूची बैंको से एकत्रित कर स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार को प्रेषित करें।

(कार्यवाही: स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

<u>इन्दिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इन्दिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राज्य में प्रारम्भ की गई है। उक्त नई स्कीम पर प्रकाश डालने हेतु शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया।

शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार ने सदन को बताया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट घोषणा 2021-22 की पालना में इन्दिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राज्य में प्रारम्भ की गई है। उक्त योजना के तहत उन्होने निम्न प्रमुख बिन्दुओं पर प्रकाश डाला:

1. योजना का नोडल विभाग स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार है।
2. योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले लगभग 5.00 लाख स्ट्रीट वेंडर, अनौपचारिक क्षेत्र में सेवाएँ उपलब्ध करवाने वाले लोग एवं बेरोजगार युवाओं (18 से 40 के मध्य आयु वाले तथा बेरोजगारी भत्ता प्राप्त न करने वाले) ऋण हेतु पात्र होंगे।
3. ऋण सीमा राशि रु. 50,000 अधिकतम होगी। ऋण को एक अथवा दो किस्तों में प्रदान किया जा सकता है।
4. ऋण अवधि 1 वर्ष की होगी (3 माह का मोरेटोरियम अतिरिक्त)।
5. ब्याज की दर सभी प्रकार के वित्तीय संस्थानों हेतु 10% वार्षिक निर्धारित है व जिसका पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा तिमाही आधार पर सभी वित्तीय संस्थानों को किया जायेगा।
6. योजना के तहत निष्पादित सभी ऋण दस्तावेजों पर देय स्टाप ड्यूटि शून्य रहेगी।
7. योजना में Schedule Commercial Bank, RRB, Small Finance Bank, Co-operative Bank व NBFCs ऋण वितरित करने हेतु पात्र हैं।
8. योजना के अंतर्गत वितरित ऋण CGTMSE के तहत Guarantee हेतु पात्र होंगे व Guarantee Fees का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

इस संबंध में उन्होने एसएलबीसी से अनुरोध किया की वे सभी बैंकों को जिलवार लक्ष्य आवंटित करने की कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करे ताकि उनके विभाग द्वारा पर्याप्त संख्या में आवेदन केनवास करने हेतु सभी डीएलबी को निदेशित किया जा सके। साथ ही उन्होने सभी बैंकों से निवेदन किया की सभी बैंक अधिक से अधिक प्राप्त होने वाले आवेदनों में ऋण स्वीकृत कर पात्र आवेदनकर्ताओं को लाभान्वित कर योजना को सफल बनाये।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि एसएलबीसी द्वारा पत्र दिनांक 22.09.2021 के माध्यम से सभी अग्रणी जिला प्रबन्धकों को स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रेषित जिलवार आवंटित लक्ष्यों प्रेषित कर दिये गए है व अग्रणी जिला प्रबन्धकों से जिले में बैंक-वार सूचना प्राप्त होते ही यथाशीघ्र विभाग को प्रेषित कर दी जायेगी। साथ ही सभी राज्य में सभी बैंकों को उक्त योजना में अधिकाधिक ऋण वितरण करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश व योजना की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है।

Waiver of charges on display of Glow Sign Board at Bank's Branch Premises

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने जनसुविधा एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए बैंक शाखा परिसर के बाहर लगे हुए Glow Sign Board

के कारण बैंकों पर प्रभारित किये गये विज्ञापन शुल्क से राहत प्रदान करने हेतु विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 25.03.2021 को बैठक आयोजित की गयी जिसमें उन्होने उक्त मुद्दे पर प्राथमिकता से जांच कर निर्णय लेने का आश्वासन दिया।

शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार ने अन्य राज्यों में प्रचलित नियमों का अध्ययन कर निर्णय से सूचित करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस मुद्दे को जल्द सुलझाये जाने का आश्वासन दिया।

<u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने पीएमईजीपी योजनान्तर्गत दिनांक 16.09.2021 तक की प्रगति के बारे में निम्नानुसार सदन को सूचित किया :

- राज्य में समस्त बैंकों को आवंटित लक्ष्य राशि रू 80.94 करोड़ (मार्जिन मनी) के सापेक्ष दिनांक 16.09.2021 तक राशि रू 24.31 करोड़ (Disbursement) उपलब्धि रही है जो कि 30.03% है।
- योजनांतर्गत आईसीआईसीआई बैंक (1.54%), इंडियन बैंक (8.21%), स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (8.21%), आरएमजीबी (16.62%) एवं पंजाब एंड सिंध बैंक (17.48%) की प्रगति आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष बहुत की कम रहने से सूचित किया।

राज्य निदेशक, केवीआईसी, भारत सरकार ने बताया कि शाखाओं द्वारा अतार्किक कारणों से आवेदन पत्र लौटाए जा रहे है एवं पिछले वित्तीय वर्ष के स्वीकृत प्रकरणों में मार्जिन मनी क्लेम करवाना सुनिश्चित करावें।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि आईसीआईसीआई बैंक एवं एसबीआई बैंक द्वारा लंबे समय से इस योजना में कार्य नहीं किया जा रहा है। उन्होने इस मुद्दे को एटीआर में शामिल करने का सुझाव दिया।

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि बैंक द्वारा योजनान्तर्गत प्रगति करने हेतु नियमित आधार पर सभी शाखाओं को आवश्यक दिशानिर्देश दिये गए है व उन्होने सदन को आश्वस्त किया की उनके बैंक द्वारा वर्तमान वर्ष में आवंटित लक्ष्य प्राप्त कर लिए जायेगे।

<u>Mukhya Mantri Laghu Udyog Prothsahan Yojana (MLUPY)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार ने पत्र दिनांक 27.08.2021 के माध्यम से योजना के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। योजना में किए गए प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं:

- ट्रेडिंग गतिविधि के लिए ऋण की अधिकतम सीमा रु 1.00 करोड़
- शहरी सहकारी बैंकों को वित्तीय संस्थाओं के रूप में शामिल करना।
- सब्सिडी का 2/3 हिस्सा सूक्ष्म इकाइयों को आवंटित
- विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम कार्यशील पूंजी सीमा 40% और कुल समग्र ऋण में से व्यापार के लिए 75%

योजना के तहत अपात्र गतिविधियां:

- खनन,
- रियल एस्टेट,
- शिक्षा और कोचिंग संस्थान,
- गैर-लाभकारी संगठन जैसे एनजीओ, ट्रस्ट आदि

सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि वे जल्द से जल्द आवेदनों का निपटारा करें और सभी स्वीकृत आवेदनों का वितरण करें। साथ ही पोर्टल पर प्रगति को नियमित आधार पर अद्यतन भी करें।

विस्तृत दिशानिर्देश सभी सदस्य बैंकों और एलडीएम के साथ पत्र संख्या ज.अं./एस.एल.बी.सी./2021-22/1410 दिनांक: 13.09.2021 के माध्यम से साझा किए गए हैं।

Indira Mahila Shakti Udyam Protshan Yojna

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि दिनांक 18.09.2021 तक योजनांतर्गत 6278 ऋण आवेदन पत्र विभिन्न बैंक शाखाओं को प्रेषित किए है जिनमें से 232 आवेदन स्वीकृत किए गए है एवं 4139 आवेदन शाखाओं में लंबित हैं।

Special Central Assistance Scheme SC/ST

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एससी/एसटी पॉप योजना के तहत 11,850 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 31.08.2021 तक मात्र 1128 प्रार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है जो कि लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 9.52% उपलब्धि है।

श्रीमति शैली किशनानी, प्रबंध निदेशक, अनुजा निगम, राजस्थान सरकार ने सभी बैंकों से योजनान्तर्गत लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए शाखाओं को निर्देशित करने हेतु अनुरोध किया ताकि लक्ष्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि हो सके।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने अनुजा निगम, राजस्थान सरकार को बताया कि आपके विभाग के फील्ड अधिकारियों द्वारा जिला व ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाली डीएलआरसी व बीएलबीसी बैठकों में सक्रियता से सहभागिता नहीं की जाती है व उक्त योजनाओं में सक्रियता से जिलों में कार्य नहीं किया जा रहा है, इस कारण से योजनान्तर्गत प्रगति कम है।

(कार्यवाही: अनुजा निगम, राजस्थान सरकार)

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया की जिला व ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों में भी अनुजा निगम, राजस्थान सरकार के जिला स्तर के प्रतिनिधियों द्वारा योजना के सुचारु संचालन हेतु सहभागिता किया जाना आवश्यक है। साथ ही उन्होने सभी बैंकों से भी लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण हेतु अनुरोध किया।

<u>प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य में दिनांक 31.08.2021 तक 4,59,456 खातों में कुल 3,207 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है जो कि लक्ष्य के सापेक्ष 28.81% है। उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार मुद्रा ऋण एवं शिशु श्रेणी में ऋण प्रदान करने के लिए अनुरोध किया ।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

<u>Stand Up India Scheme (SUI) for F.Y. 2021-22</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिनांक 15.09.2021 तक 313 आवेदन स्वीकृत किए गए एवं राशि रु. 7.76 करोड़ के ऋण वितरित किए गए जो कि बेहद कम प्रगति है। समस्त बैंकों को निर्देश प्रदान किए कि उनके अधीन समस्त शाखाओं को निर्देशित करें कि स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करें ।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि स्टैंड अप योजना के तहत पात्र ऋणों का वर्गीकरण सही से नहीं किए जाने के कारण योजना के तहत प्रगति परिलक्षित नहीं हो रही है। उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि 7 कार्यदिवस में वर्गीकरण सही कर एसएलबीसी को पुष्टि करें।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

<u>Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS - 20%)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) के तहत दिनांक 31.08.2021 तक की एजेन्सीवार प्रगति निम्नानुसार अवगत करवाया:

Performance under Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) under MSME Package of GoI as on 31.08.2021

Amt in Cr

Sr. No.	Banks	Total MSME o/s of Major Banks as on 29.02.2020		Eligible Accounts of MSME		20% of eligible amt.	Cumulative Sanction progress		Cumulative Disbursement upto	
		A/C	AMT	A/C	AMT	AMT	A/C	AMT	A/C	AMT
1	Public Sector Bank	343973	34939	207778	23715	4743	121309	3555	84926	2973
2	Private Sector Bank	312893	26658	62225	23511	4702	43068	4464	21195	3609
3	Regional Rural Bank	85409	1490	37396	661	132	1265	116	1261	115
4	Small Finance Bank	135775	7529	118431	7225	1445	16279	427	12720	354
	Total	**878050**	**70616**	**425830**	**55112**	**11022**	**181921**	**8562**	**120102**	**7051**

उक्त योजना में ऋण स्वीकृती की अवधि (ECLGS 1.0, ECLGS 2.0 एवं ECLGS 3.0) दिनांक 30.09.2021 अथवा जब तक NCGTC द्वारा रु. 3.00 लाख तक की गारंटी दी गयी है, जो भी पहले हो, तक बढ़ायी गयी है व ऋण वितरण की अंतिम तिथि 31.12.2021 की गई है।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि उक्त योजनांतर्गत प्राप्त समस्त आवेदनों पर अंतिम तिथि से पूर्व शीघ्र ही कार्यवाही करें एवं सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना के लाभ से वंचित ना रहे। यदि किसी भी बैंक में आवेदन करने वाला कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित रह जायेगा तो उक्त प्रकरणों में वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संबन्धित बैंक पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

Campaign for saturation of all PM-KISAN beneficiaries with KCC

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषणा की गयी है कि पूरे देश में 2.50 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रदान किया जावेगा जिसके तहत मिशन मोड में कार्य कर रु. 2.00 लाख करोड़ का ऋण farm sector को प्रदान किया जावेगा।

दिनांक 10.09.2021 तक पशुपालन हेतु प्रदान की जाने वाली केसीसी के 9816 आवेदन पत्र पीएमएफ़बीवाई पोर्टल पर लंबित हैं। उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि लंबित आवेदनों का निस्तारण प्राथमिकता से करना सुनिश्चित करावें। उक्त अभियान के तहत दिनांक 10.09.2021 तक की प्रगति निम्नानुसार है:-

Progress of KCC Saturation Drive in Rajasthan as reported by Bank's Head Office on FI Plan Portal of DFS, MoF, GoI as on 10.09.2021				
Particulars		Application Sanctioned		Application Pending
		A/c	Amt. (in Cr.)	A/c
KCC (Crop Loan)		1470862	29351.95	7070
Farmers with AH or Fisheries Activities	KCC (Crop Loan) with dairy activity	24998	191.93	238
	KCC (Crop Loan) with any other allied	85094	327.50	1909
Only Animal Husbandry	Dairy	118960	1220.43	531
	Poultry	2052	18.27	1
	Others	9454	114.41	0
Fisheries		722	26.67	67
Total		**1712142**	**31251.16**	**9816**
Total application Received - 20,03,048				

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि सभी पीएम-किसान लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड ऋण उपलब्ध करवा कर संतृप्त करें और पात्र डेयरी किसानों को केसीसी भी जारी करें।

इसके अलावा, किसानों को आवश्यक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, पात्र किसानों को ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई) के लिए भी नामांकित किया जा सकता है।

सभी शाखाओं द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि सभी केसीसी खातों को आरबीआई और सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार आधार कार्ड के साथ लिंक करें ताकि ब्याज अनुदान योजना (Interest Subvention) के तहत लाभान्वित हो सके।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

<u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा पत्रांक प. 1(3) कृषि-1/एम.सी./2021 दिनांक 17.06.2021 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार खरीफ 2021 व रबी 2021-22 मौसम में प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गयी है। जो कि राजस्थान के 33 जिलों मे क्रियान्वित की गई। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में फ़सली ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक एवम बंटाईदार कृषको द्वारा फसलों का बीमा किया गया है।

पीएमएफ़बीवाई खरीफ 2021 के अंतर्गत दिनाँक 18.09.2021 तक केंद्रीय पोर्टल पर अद्यतित कृषक आंकड़ों की प्रगति निम्नानुसार है:-

Particulars	Kharif - 2021
Loanee Application Count	1.62 Cr.
Non Loanee Application Count	0.10 Cr.
Total Sum Insured	17,243Cr.
Total Area Insured	64.01 Lakh Hect.
Total Farmer Share	358.39 Cr.
Gross Premium	3407.13 Cr.

राजस्थान सरकार द्वारा खरीफ 2021 मौसम से कृषकों की कृषि भूमि के आंकड़े पीएमएफ़बीवाई पोर्टल पर Integrate किये जाने के कारण व अन्य तकनीकी कारणों से कृषकों के डेटा अद्यतन का कार्य पूर्ण करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण अभी भी बहुत से कृषकों के आंकड़े एनसीआईपी पोर्टल पर अद्यतन होने से शेष है।

इस संबंध में एसएलबीसी, राजस्थान द्वारा पत्र क्रमांक ज.अं./एस.एल.बी.सी./2021-22/886 दिनांक 13.08.2021 व 1371 दिनांक 06.09.2021 के द्वारा आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार से PMFBY खरीफ 2021 मौसम हेतु NCIP पोर्टल पर शेष रही फसल बीमा पालिसियाँ के आकड़ें अद्यतन करने हेतु पोर्टल पुनः खोलने का अनुरोध किया गया है।

आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार द्वारा समसंख्यक पत्रांक 3065-67 दिनांक 13.08.2021 व 3912-18 दिनांक 07.09.2021 के माध्यम से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (पीएमएफबीवाई), भारत सरकार से PMFBY खरीफ 2021 मौसम हेतु NCIP पर पोर्टल शेष रही फसल बीमा पालिसियाँ के आकड़ें अद्यतन करने हेतु पोर्टल पुनः खोलने का अनुरोध किया गया है।

इस क्रम में भारत सरकार के स्तर से PMFBY खरीफ 2021 मौसम हेतु NCIP पोर्टल खोले जाने का निर्णय लम्बित है जिसके लिए आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार से अनुवर्तन कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया।

<u>शिक्षा ऋण (Education Loan)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि बैंकों द्वारा वर्ष 2021-22 में जून तिमाही तक राज्य में 2,089 छात्रों को राशि रू 59.35 करोड़ के शैक्षिक ऋण वितरित किए गए हैं जिनमें कुल 42,191 छात्रों पर बकाया राशि रू 2014.55 करोड़ है।

बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से 763 खातों में रु 15.99 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि सभी शिक्षा ऋण विद्या पोर्टल पर अद्यतित किए जाने चाहिए।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि शिक्षा ऋण में भी निजी बैंकों द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है।

(कार्यवाही: समस्त निजी बैंक बैंक)

Doubling of Farmers Income by 2022

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि केंद्रीय बजट 2016-17 में भारत सरकार ने किसानों की आय को 2022 तक दुगुना करने की घोषणा की थी। किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करने के कार्यबिन्दु पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की उप समिति (कृषि से संबन्धित योजनाओं) की बैठक में विस्तृत चर्चा की गयी। उप समिति में निम्न सुझाव दिये गए:-

- किसानों को नियमित कृषि गतिविधियों के अतिरिक्त गैर कृषि क्षेत्रों जैसे डेयरी, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन इत्यादि हेतु प्रेरित करें।
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत मिलने वाली विभिन्न सब्सिडी योजनाओं यथा डीईडीएस, कृषि व्यवसाय, एग्री क्लीनिक एवं एएमआई योजना इत्यादि।
- मौजूदा केसीसी ऋण धारकों को वर्तमान स्केल ऑफ फ़ाईनेन्स के अनुसार ऋण प्रदान किया जावे।
- मौजूदा केसीसी ऋण धारकों को पशुपालन एवं मत्स्य पालन की गतिविधियों हेतु ऋण प्रदान किया जावे।
- केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय वृद्धि हेतु निम्नलिखित योजनाएँ चलायी जा रही हैं:-
  1. Rajasthan Agro-processing, Agri-business & Agri-exports Promotion Policy, 2019.
  2. Scheme for formalization of Micro food processing Enterprises (FME).
  3. Agriculture Infrastructure Fund (AIF).

Rajasthan Agro-processing, Agri-business & Agri-exports Promotion Policy, 2019

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत दिनांक 31.08.2021 तक बैंकों की प्रगति निम्नानुसार है:-

Progress as on 31.08.2021

Sr.No.	Bank Name	Applications Sanctioned	Total Project Cost	Total Loan Amount Sanctioned	Amt. of Subsidy Sanctioned
		No.	(Amt. in Cr)	(Amt. in Cr)	(Amt. in Cr)
1	Bank of Baroda	170	303.01	168.65	53.59
2	Punjab National Bank	97	241.37	140.29	17.74
3	State Bank of India	115	234.42	127.94	13.72
4	Kotak Mahindra Bank	56	139.13	73.88	8.26
5	HDFC Bank	39	122.77	55.74	4.92
6	RSCB	105	32.84	26.23	4.22
7	UCO Bank	32	47.50	29.96	4.02
8	ICICI Bank	36	95.54	48.40	3.71
9	Canara Bank	11	24.24	9.54	2.10
10	Union Bank of India	15	34.14	20.00	1.63
11	Axis Bank	7	16.96	9.49	1.50
12	Central Bank of India	7	11.62	7.47	0.99
13	Indusind Bank	9	16.93	10.20	0.94
14	RFC	4	3.59	1.75	0.71
15	Indian Bank	4	8.09	5.00	0.59
16	Punjab and Sind Bank	4	16.32	6.75	0.51
17	BRKGB	16	21.52	13.24	0.48
18	AU Small Finance Bank	15	26.19	14.90	0.43
19	Others	5	49.92	25.16	0.03
20	SIDBI	4	2.75	1.80	0.00
21	YES Bank	2	4.66	3.00	0.00
22	Bank of India	2	17.10	7.65	0.00
24	Bank of Maharashtra	1	0.68	0.40	0.00
	Grand Total	**756**	**1471.29**	**807.43**	**120.10**

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने समस्त बैंकों से पात्र आवेदनों को जल्द से जल्द प्रोसेस करने हेतु अनुरोध किया ताकि राज्य में कृषि क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके।

Agriculture Infrastructure Fund (AIF)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत दिनांक 15.09.2021 तक बैंकों की प्रगति निम्नानुसार है:-

Bank wise progress as on 15.09.2021

Sr. No.	Bank	Application forwarded to Banks		Application Sanctioned by Banks		Out of Sanctioned App. Approved by Bank & pending for Disb.		Out of Sanctioned App. Disbursed By Bank		Application Pending with Bank		Application Rejected by Bank	
		No.	Amt. (Rs. In Cr.)	No.	Amt. (Rs. In Cr.)	No.	Amt. (Rs. In Cr.)	No.	Amt. (Rs. In Cr.)	No.	Amt. (Rs. In Cr.)	No.	Amt. (Rs. In Cr.)
A	PUBLIC SECTOR BANKS												
1	State Bank of India	101	99.20	57	44.55	15	17.04	42	27.51	20	21.41	24	33.24
2	Bank Of Baroda	118	77.74	106	61.07	22	19.59	84	41.48	5	6.64	7	10.03
3	Bank Of India	1	0.10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.10
4	Canara Bank	7	4.59	6	2.78	0	0.00	6	2.78	0	0.00	1	1.80
5	Central Bank Of India	4	3.45	3	3.30	0	0.00	3	3.30	0	0.00	1	0.15
6	Indian Bank	1	0.43	1	0.43	0	0.00	1	0.43	0	0.00	0	0.00
7	Punjab and Sind Bank	2	2.92	1	1.42	0	0.00	1	1.42	1	1.50	0	0.00
8	Punjab National Bank	62	55.18	53	43.10	11	11.66	42	31.44	5	6.80	4	5.28
9	UCO Bank	15	10.94	10	4.20	1	0.34	9	3.86	2	2.40	3	4.34
10	Union Bank of India	11	15.70	8	10.90	0	0.00	8	10.90	1	1.70	2	3.10
	Total	**322**	**270.24**	**245**	**171.76**	**49**	**48.63**	**196**	**123.13**	**34**	**40.44**	**43**	**58.04**
B	PUBLIC SECTOR BANKS												
11	HDFC Bank	26	56.12	3	3.10	0	0.00	3	3.10	23	53.02	0	0.00
12	Kotak Mahindra Bank	37	37.57	12	6.12	2	2.03	10	4.09	12	15.25	13	16.20
13	YES BANK LTD	1	1.50	1	1.50	1	1.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00
14	ICICI Bank	9	13.67	1	1.60	0	0.00	1	1.60	7	10.07	1	2.00
15	IndusInd Bank	2	1.02	2	1.02	0	0.00	2	1.02	0	0.00	0	0.00
16	IDBI BANK LTD	1	0.07	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.07	0	0.00
17	Axis Bank	1	2.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.00
	Total	**77**	**111.94**	**19**	**13.34**	**3**	**3.53**	**16**	**9.81**	**43**	**78.41**	**15**	**20.20**
C	COOPERATIVE SECTOR BANKS												
18	RSCB (DCCBs with PACS affiliation)	146	24.52	114	16.83	24	5.91	90	10.92	24	5.32	8	2.36
	Total	**146**	**24.52**	**114**	**16.83**	**24**	**5.91**	**90**	**10.92**	**24**	**5.32**	**8**	**2.36**
D	SMALL FINANCE BANK												
19	AU Small Finance Bank	5	5.45	4	3.95	0	0.00	4	3.95	1	1.50	0	0.00
	Grand Total	**550**	**412.14**	**382**	**205.87**	**76**	**58.07**	**306**	**147.80**	**102**	**125.67**	**66**	**80.60**

समस्त बैंकों से लंबित आवेदनों का निस्तारण करने एवं वितरण हेतु अनुरोध किया। साथ ही उक्त योजनान्तर्गत प्रगति पोर्टल पर अपलोड करने हेतु भी अनुरोध किया।

PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PM FME Scheme)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने पूरे राष्ट्र में इस योजना को लोकप्रिय बनाने और शाखाओं और अग्रणी जिला प्रबंधकों को प्राथमिकता के आधार पर सभी आवेदनों को प्रोसेस करने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए हैं।

Progress as on 15.09.2021						
Sr. No.	Bank	Total Application forwarded	Application Sanctioned	Application Rejected	Application Pending	No. of Branches Pending for Login in PM FME portal
		No.	No.	No.	No.	No.
1	STATE BANK OF INDIA	80	1	13	66	1
2	BANK OF BARODA	44	7	28	9	0
3	BANK OF INDIA	4	1	2	1	1
4	CANARA BANK	20	4	6	10	1
5	CENTRAL BANK OF INDIA	7	1	3	3	2
6	INDIAN BANK	1	0	0	1	0
7	PUNJAB AND SIND BANK	2	0	0	2	0
8	PUNJAB NATIONAL BANK	62	6	5	51	11
9	UCO BANK	16	5	4	7	2
10	UNION BANK OF INDIA	10	3	3	4	2
A	**Public Sector Bank Total**	**246**	**28**	**64**	**154**	**20**
11	AXIS BANK	2	0	0	2	1
12	HDFC BANK	11	0	0	11	6
13	IDFC First Bank Ltd	1	0	0	1	1
14	ICICI BANK	4	0	1	3	1
15	IDBI BANK	2	0	0	2	2
16	INDUSIND BANK	1	0	0	1	0
17	KOTAK MAHINDRA BANK	4	0	0	4	2
18	CITY UNION BANK	0	0	0	1	1
19	CSB BANK LIMITED	3	0	0	3	1
20	FEDERAL BANK	1	0	0	1	1
B	**Private Sector Bank Total**	**29**	**0**	**1**	**29**	**16**
21	BRKGB	17	0	4	13	0
22	RMGB	6	0	0	6	6
C	**Regional Rural Bank Total**	**23**	**0**	**4**	**19**	**6**
23	RSCB	3	0	0	3	3
D	**Cooperative Sector Bank Tota**	3	0	0	3	3
24	AU SMALL FINANCE BANK	7	0	2	5	0
25	EQUITAS SMALL FINANCE BANI	1	0	0	1	1
E	**Small Finance Bank Total**	**8**	**0**	**2**	**6**	**1**
	Grand Total	**309**	**28**	**71**	**211**	**46**

प्रशासक, आरएसएएमबी, राजस्थान सरकार ने बताया की उक्त योजना के तहत सिर्फ 28 आवेदन ही स्वीकृत किए गए हैं जो की काफी कम हैं। अस्वीकृत किए गए आवेदनों का कारण स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया।

प्रतिनिधि, केनरा बैंक ने बताया कि आवेदन प्राप्त होने पर शाखा द्वारा आवेदक से संपर्क करने पर पता चलता है कि आवेदक को पता ही नहीं है कि उसने किस काम के लिए ऋण आवेदन प्रस्तुत किया है व साथ ही कुछ शाखाओं में 50 कि.मी. से भी अधिक दूरी से ऋण आवेदन प्राप्त हो रहे है जिस कारण शाखाओं के लिए उन आवेदनों को प्रोसेस करना व्यवहार्य नहीं होता है।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि योजनाओं को सफल बनाने हेतु यह आवश्यक है गुणवत्तापूर्ण आवेदन ही प्रेषित किए जावे ताकि सभी आवेदनों पर बैंकों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।

एजेंडा क्रमांक- 6

<u>CD Ratio, Review of Districts with CD Ratio below 40% and working of special Sub-Committee of DCC (SCC)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि राज्य के समस्त जिलों का साख जमा अनुपात निम्नानुसार है:

100% से अधिक 5 जिलों में,	71%-100% 15 जिलों में,
61%-70% 5 जिलों में,	51%-60% 6 जिलों में,
41%-50% 2 जिले में	40% से कम शून्य जिले में है.

दिनांक 22.09.2021 को मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार के साथ एसएलबीसी के संयोजक की व्यक्तिगत मुलाक़ात के दौरान मुख्य सचिव महोदय ने भारतीय स्टेट बैंक व अन्य बैंकों की कृषि क्षेत्र के तहत नकारात्मक वृद्धि पर नाराजगी जाहीर की व निर्देश दिये की सभी बैंकों द्वारा आगामी तिमाही में कृषि क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की जाए।

(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवर्सीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ईक्व्टास स्माल फ़ाइनेंस बैंक)

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि उनके प्रधान कार्यालय द्वारा भी इस हेतु ध्यान आकर्षित किया गया है तथा इस तिमाही में उनके बैंक द्वारा सकारात्मक वृद्धि दर परिलक्षित की जाएगी।

NPA Position

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में जून, 2021 तिमाही तक कुल अग्रिम राशि रू 4,05,510 करोड़ है तथा कुल एनपीए ऋण राशि रू 17,691 करोड़ है जो कि कुल अग्रिम का 4.36% है. कृषि क्षेत्र में एनपीए 8.33%, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 4.07%, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 2.70% एवं कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 5.85% है.

उन्होने बताया कि जून 2020 में कुल एनपीए 4.48% था जो कि जून 2021 में 4.36% हो गया है. जून 2020 में कुल कृषि ऋण एनपीए 8.92% था जो कि जून 2021 में 8.33% हो गया है. जून 2020 में कुल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम ऋण में एनपीए 3.88% था जो कि जून 2021 में 4.07% हो गया है तथा जून 2020 में कुल प्राथमिकता प्राप्त ऋण में एनपीए 5.94% था जो कि जून 2021 में 5.85% हो गया है।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि कोविड महामारी के पश्चात भी राज्य में कुल एनपीए की स्थिति नियंत्रण में जिसके लिए सभी बैक बधाई के पात्र है। किन्तु कृषि क्षेत्र में एनपीए देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है जिस पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

सरफेसी एक्ट, 2002, राको रोड़ा एवं वसूली

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि राज्य में सरफेसी एक्ट के अंतर्गत दिनांक 30.06.2021 तक कुल 767 प्रकरण राशि रू 187 करोड़ के लंबित हैं जिनमें से 558 मामले राशि रू 137 करोड़ के प्रकरण 60 दिन से अधिक समय से लंबित हैं

राको रोड़ा एक्ट के अंतर्गत कुल 1,95,143 प्रकरण राशि रु 3,472 करोड़ के लंबित हैं जिनमें से 1,22,509 प्रकरण राशि रु 2,206 करोड़ के 1 वर्ष से भी अधिक समय से लंबित हैं।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सरफेसी एक्ट एवं राको रोड़ा एक्ट के तहत वसूली के लिए राजस्व अधिकारियों को मासिक लक्ष्य आवंटित करने हेतु राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया एवं लंबित प्रकरणों के निस्तारण की नियमित रूप से समीक्षा करें।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार एवं समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धक)

उन्होने अग्रणी जिला प्रबन्धकों से अनुरोध किया कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित डीएलआरसी/डीएलसीसी बैठकों में सरफेसी एक्ट एवं राको रोड़ा एक्ट के तहत लंबित प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा करें ।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धक)

एजेंडा क्रमांक- 8

<u>ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि राज्य में कार्यरत 35 आरसेटी द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है. दिनांक 30.06.2021 तक राज्य में 21 आरसेटी भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, 2 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं 8 आरसेटी भवनों का निर्माण कार्य शुरू किया जाना है. शेष 3 आरसेटी के लिए भूमि आवंटन के प्रकरण लंबित है।

<u>R-SETI Building Construction</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने आर-सेटी के भूमि आवंटन के प्रकरण की स्थिति के बारे में निम्नानुसार सदन को सूचित किया :

सवाई माधोपुर (बैंक ऑफ बड़ौदा) : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान ने बताया कि जिला प्रशासन, सवाई माधोपुर के द्वारा वैकल्पिक भूखंड चिन्हिकरण की कार्यवाही की जा रही है। जिला प्रशासन सवाई-माधोपुर के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

अलवर (पंजाब नेशनल बैंक) : यूआईटी, अलवर द्वारा 2500 वर्ग मी. की भूमि पंजाब नेशनल बैंक को आवंटित कर रु 56,56,400/- का डिमांड नोटिस जारी किया गया है. पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सूचित किया गया है कि यूआईटी, अलवर द्वारा कहा गया है कि रु 56,56,400/-, ले-आउट चार्ज एवं अन्य चार्ज

माफ किए जाने पर ही इस मुद्दे पर आगे कार्यवाही की जाएगी. ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

जालौर (भारतीय स्टेट बैंक) : आरसेटी जालौर को भवन निर्माण हेतु ज़िलाधीश महोदय, जालोर के आदेश क्रमांक/एफ12(3) (5)सार्व/राजस्व/12/88/ दिनांक 08.01.2016 के द्वारा भूमि आवंटन किया गया था. तत्पश्चात दिनांक 23.02.2016 को कब्जा भी सुपुर्द कर दिया गया था. दिनांक 29.03.2016 को पट्टा जारी होकर, 01.04.2016 को पंजीयन भी करवा दिया गया था. इसके पश्चात 21.07.2016 को श्री मुकेश सुनदेशा ने उक्त आवंटन आदेश के विरुद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष उक्त भूमि पर अपना हक जताते हुए अपील दायर कर दी. तब से आज तक 9 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन फैसला अभी तक लंबित है. आरसेटी के भूमि विवादित होने के कारण आरसेटी भवन निर्माण नहीं किया जा सकता है. इस संदर्भ में ज़िलाधीश, जालौर महोदय को भारतीय स्टेट बैंक के पत्र क्रमांक मा.बै.वि./497 दिनांक 24.10.2018 के माध्यम से आरसेटी जालौर को वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया है, जिला कलेक्टर कार्यालय, जालोर से कार्यवाही अपेक्षित है. उन्होने ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से जिला कलेक्टर जालौर को समुचित दिशा- निर्देश प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध किया.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

सिरोही (भारतीय स्टेट बैंक): ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान ने राज्य सरकार ने 2011 में 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि आवंटित की और निर्माण के बाद, संस्थान स्वयं के भवन से चल रहा है। अब 8,59,320/- रुपये की लेखापरीक्षा मांग के अनुसार, बैंक ने उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका दायर की, राज्य सरकार से कार्यवाही प्रतीक्षित है।

बैठक के अध्यक्ष कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि उक्त भूमि आवंटन के मुद्दों के बहुत अधिक समय से लंबित है जिसकी वजह से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि वापस ले ली जावेगी एवं उक्त प्रोजेक्ट बंद होने की संभावना है ।

उन्होने आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार अनुरोध किया कि ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से समन्वय करते हुए आर-सेती भूमि आवंटन के उक्त मुद्दों को जल्द सुलझाने के लिए संबन्धित जिला कलेक्टरों को निर्देशित करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि दिनांक 31.08.2021 तक 2 बैंक यथा राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, धन लक्ष्मी बैंक द्वारा कुछ फाईल भेजी गई है किन्तु उनमें त्रुटि है, 3 बैंक यथा सिटी यूनियन बैंक, नैनीताल बैंक, फिनग्रोथ कॉ-ओपरेटिव बैंक द्वारा अभी तक *.* txt file नहीं प्रेषित की गई है ना ही वर्तमान स्थिति से अवगत करवाया है। राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक

द्वारा सूचित किया गया है की उनके बैंक में CBS सिस्टम नहीं होने के कारण automated *.* text file जनरेट नहीं कर पा रहे है।

National Strategy for Financial Education (2020-2025)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि:-

- वर्ष 2020-2025 के लिए वित्तीय शिक्षा हेतु दूसरी राष्ट्रीय रणनीति (NSFE) राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (NCFE) द्वारा सभी वित्तीय क्षेत्र के नियामकों (RBI, SEBI, IRDAI और PFRDA), DFS और अन्य सरकार के मंत्रालयों एवं अन्य हितग्राहियों (डीएफआई, एसआरओ, आईबीए, एनपीसीआई) के वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता (टीजीएफआईएफएल) पर तकनीकी समूह (अध्यक्ष: डिप्टी गवर्नर, आरबीआई) के तत्वावधान में निर्धारित की गयी है। NSFE दस्तावेज़ को FSDC-SC द्वारा 18 जून, 2020 को आयोजित अपनी 24 वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है।
- NSFE: 2020-2025 जनसंख्या के विभिन्न वर्गों को पर्याप्त ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार विकसित करने के लिए सशक्त बनाकर भारत सरकार और वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के दृष्टिकोण का समर्थन करने का इरादा रखता है, जो कि उनके पैसे को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और योजना बनाने के लिए आवश्यक हैं।
- निर्धारित रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, वित्तीय शिक्षा के प्रसार के लिए '5 सी' दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश करता है। '5 सी' सामग्री, क्षमता, समुदाय, संचार और सहयोग हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक की लीड बैंक योजना के पुनरुद्धार के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उप-समिति की बैठकों में निम्न एजेंडा बिन्दुओं पर चर्चा की जा चुकी है:

- वित्तीय समावेशन कार्यक्रम और शाखा नेटवर्क तथा एटीएम का कार्यान्वयन।
- पीएमजेडीवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और बीसी के नेटवर्क का कार्यान्वयन।
- डिफरेंशियल अप्रोच - FIF By NABARD.
- "भारत नेट" ब्रॉडबैंड का उपयोग करना - जहां कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी या कम कनेक्टिविटी नहीं है।
- बैंक शाखाओं में आधार नामांकन केंद्रों की स्थापना।
- एफएलसीसी शिविरों की प्रगति।
- वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) की स्थापना।
- प्रधानमंत्री द्वारा एमएसएमई के विकास हेतु गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के तहत प्रगति।
- राज्य में प्राकृतिक आपदा प्रभावित जिलों में ऋणों के पुनर्गठन की समीक्षा।
- डब्लूडीआरए द्वारा परक्राम्य वेयरहाउस रसीदों (एनडब्ल्यूआर) का सुदृढ़ीकरण।

- किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को ऋण सहायता।

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सदन को बताया की राज्य के आर्थिक विकास हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राजय सरकार को विभिन्न पत्रों के माध्यम से विभिन्न सुझाव प्रेषित किए गए है किन्तु आज दिनांक तक भी राज्य सरकार की तरफ से उन पर कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है। उक्त दिये गए निम्नानुसार है:

- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकन बढ़ाने के मुद्दे पर उन्होने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गूगल फॉर्म्स बनाकर राज्य सरकार को प्रेषित कर दिये गए हैं। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि उक्त फॉर्म्स को स्कूल एवं कॉलेज में प्रचारित करें जिससे अधिककाधिक लोग जागरूक हो सकें। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में कार्यवाही अपेक्षित है।
- कृषि ऋण के स्तर में वृद्धि:- किसानों को उनकी इनपुट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक ऋण नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में भी राज्य सरकार की ओर से कोई समाधान नहीं दिया गया है।
- कृषि क्षेत्र में एनपीए:- राजस्थान में कृषि क्षेत्र में अन्य राज्यों के मुक़ाबले एनपीए का स्तर अधिक है एवं राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में भी बैंकों को ऋण वसूली में सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है। राको रोड़ा एवं सरफेसी एक्ट के तहत लंबित मुद्दों का निस्तारण करने में भी राज्य सरकार से सहयोग अपेक्षित है। राज्य सरकार के सहयोग से ही जमीनी स्तर पर बदलाव किया जा सकता है। राजस्थान में जीडीपी के मुक़ाबले अग्रिम स्तर कम है।
- उन्होने पिछले बैठक में एमडीआई विश्वविद्यालय की पीएमईजीपी पर प्रकाशित study report के बारे में सदन को बताया था। उस रिपोर्ट के 10 मुख्य बिन्दुओं में से 5 बिन्दुओं पर कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जानी है।
- राज्य में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए स्कूली शिक्षा में वित्तीय साक्षरता के विषया को शामिल किए जाने की आवश्यकता है ताकि राज्य के निवासियों में प्रारम्भ से है बैंकिंग सुविधाओं के प्रति जागरूकता आए।
- राज्य में 5 बैंकों यथा बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, पीएनबी, यूको एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 50 सीएफ़एल (Centre for Financial Literacy) स्थापित किए जाएंगे जिसमें बैंकों के सहयोग से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाए जावेंगे।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में संतृप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले अभियान के दिशा-निर्देश जारी किए जाने वाले है। अतः उक्त अभियान को सफल बनाने हेतु समस्त बैंकों से अनुरोध किया। साथ ही कुछ जिला कलेक्टरों द्वारा राको रोड़ा के तहत कार्यवाही रोकने जाने हेतु जारी निर्देशों के संबंध में राज्य सरकार से चर्चा कर इस प्रकार के असहयोगात्मक व्यवहार को रुकवाने के लिए एसएलबीसी से अनुरोध किया।

उन्होने सदन के समक्ष सभी मुद्दों पर सार्थक रूप से चर्चा करने पर सभी उपस्थित सदस्यों व बैंकों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

श्री आर.सी. यादव, उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा सदन में सभी मुद्दों पर सार्थक रूप से चर्चा करने एवं बैठक के अध्यक्ष महोदय व केंद्र व राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बीमा कंपनी के अधिकारी सहित सभी बैंकर्स को धन्यवाद ज्ञापित किया. साथ ही आश्वस्त किया कि बैठक में लिए गए सभी निर्णयों पर गंभीरतापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

****